(a) whether it is a fact that more than 90 per cent of the female workers in Bihar were found to be engaged in the agricultural sector particularly as agricultural workers in 1991;

(b) if so, what are the details of female agricultural workers in Bihar in the said year;

(c) what was the all India average of female agricultural workers at that time;

(d) whether Government are aware that the female agricultural workers are the most exploited lot pertaining to wages and working conditions; and

(e) if so, what action Government propose to take to improve the lot of the female agricultural workers including their working conditions in Bihar?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) According to the 1991 Census, 90.89 per cent of the total female main workers in Bihar were working as cultivators (31.60%) and agricultural labourers (59.29%). The total number of female agricultural workers as per the 1991 Census was 2,434,176 in Bihar.

(c) The all India average (excluding Jammu & Kashmir) of female cultivators and female agricultural labourers was 78.81 per cent as per the 1991 Census.

(d) and (e) Government are aware of occupational discrimination against women and have, therefore, enacted various legislations; such as the Minimum Wages Act, 1948; The Maternity Benefit Act, 1961; The Equal Remuneration Act, 1976 etc. which impose obligations on the employers vis-a-vis their women workers in regard to wages and certain other conditions of work.

उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी

48. **श्री राम नरेश यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की शर्तों के अनुसार देश के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी करने तथा घाटे में चलने वाले उपक्रमों को बंद करने का सरकार का कोई इरादा है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी के मापदण्ड क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार हो जाने संबंधी समाचार पर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनर्संरचना का कार्य राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। औद्योगिक पुनर्संरचना के कारण उत्पन्न श्रमिकों की आवश्यकताओं के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का प्रावधान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है। इसमें कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन तथा रोजगार सृजन की योजनाओं के लिए निधियां शामिल हैं।

श्रम न्यायाधिकरणों में रिक्तियां

49. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक श्रम न्यायाधिकरणों में कोई मुख्य कार्यपालक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?